

ऑनलाइन पंजीकरण
एवं वांछित प्रपत्र
अपलोड करने
की तिथि
10.02.2019 से
02.03.2019 को
2.30 बजे तक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
की लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, बरेली, आगरा जोन के अन्तर्गत शैक्षणिक भूखण्डों की

ई-नीलामी

ई-ऑक्शन पोर्टल-<http://upavp.mjunction.in>
ई-ऑक्शन दिनांक 08.03.2019

जोनल अधिकारी
द्वारा प्रपत्रों की
जाँच दिनांक
02.03.2019 से
05.03.2019 को
2.30 बजे तक

जोन का नाम	योजना का नाम	समयावधि
लखनऊ	वृन्दावन योजना, (लखनऊ), अवध विहार योजना, (लखनऊ) आम्रपाली योजना, (लखनऊ), पंचवटी योजना, (सीतापुर)	लखनऊ एवं वाराणसी जोन हेतु प्रातः 10.00 बजे से अप0 12.30 बजे तक
वाराणसी	भरतपुरी योजना, (गोण्डा)	
आगरा	कृष्ण विहार योजना, से0-4, (मथुरा), हाथरस योजना, से0-3, (हाथरस) कासगंज योजना से0-1, (कासगंज)	आगरा एवं मेरठ जोन हेतु अप0 12.30 बजे से 3.00 बजे तक
मेरठ	सिद्धार्थ विहार योजना, से0-9, (गाजियाबाद) मण्डोला विहार योजना, से0-5, (गाजियाबाद) शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना-8) से0-ए, (सहारनपुर) अशोक विहार योजना, से0-ए, (खतौली) माधवपुरम योजना-10, से0-3, (मेरठ) जागृति विहार योजना-10, से0-4, (मेरठ)	
बरेली	मझोला योजना-4, (मुरादाबाद), जिगर विहार योजना, (मुरादाबाद) सम्मल गेट योजना-1, (चन्दौसी), टैगोर नगर योजना, (पीलीभीत)	बरेली एवं कानपुर जोन हेतु अप0 3.00 बजे से 5.30 बजे तक
कानपुर	केशवपुरम योजना-1, (कानपुर) अम्बेडकर पुरम योजना-3, (कानपुर) हंसपुरम योजना-2, (कानपुर), लोहियापुरम योजना, (फतेहगढ़)	

वैध/पात्र आवेदक आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि
दिनांक 06 से 07 मार्च 2019 तक जमा कर सकते हैं।

सफल आवेदकों को दिनांक 05-03-2019 तक ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

असफल आवेदकों को भी कारण सहित सूचित किया जायेगा।

नोट:- 1. किसी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार
आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित है। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (MO) का निर्णय अन्तिम
एवं बाध्यकारी होगा। 2. ई-नीलामी के विस्तृत नियम/शर्तें, सम्बन्धित जोनल आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय एवं परिषद की
वेबसाइट <http://upavp.in> पर public notice के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 3. निर्माण सम्बन्धी नियम उ.प्र.
आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। 4. सीलड बिड या
ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आवास आयुक्त

ई-नीलामी के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

तकनीकी जानकारी हेतु : 033-66031798, 033-44091798 (सोमवार से शुक्रवार प्रात 10.00 सांय 5.30)

टोल फ्री न0 : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रात 10.00 सांय 6.00)

ई-मेल: upavp.helpdesk@mjunction.in

IS 15700 : 2005



सेवाोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गॉंधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com

